

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

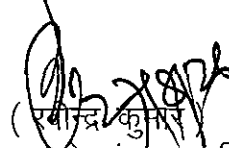
आदेश

श्री सुरेन्द्र राम, माननीय सदस्य, बिहार विधान सभा (क्षेत्र संख्या-119, गड़खा, सारण) ने अपने संदर्भ संख्या-41 दिनांक-26.02.2026 के माध्यम से प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, गड़खा, सारण के द्वारा जन वितरण प्रणाली दुकानदारों से 50/- रुपये प्रति क्विंटल की दर से अवैध राशि की वसूली का आरोप प्रतिवेदित करते हुए मामले की जाँच उच्च स्तरीय कमिटी से कराये जाने का अनुरोध किया गया। माननीय सदस्य द्वारा प्रतिवेदित उक्त आरोप की जाँच हेतु विभागीय पत्रांक-1124 दिनांक-06.03.2026 द्वारा जिला पदाधिकारी, सारण (छपरा) से अनुरोध किया गया।

जिला पदाधिकारी, सारण (छपरा) के पत्रांक-1265 दिनांक-06.08.2026 द्वारा प्रस्तुत मामले का जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है। जाँच प्रतिवेदन में अंकित किया गया है कि "शिकायत में उपलब्ध कराये गये पेन ड्राईभ में दर्ज बातचीत सुनी गई तथा श्री निरंजन कुमार, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, गड़खा, सारण से अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस किया गया। पेन ड्राईभ में दर्ज बातचीत से अवैध राशि की माँग स्पष्ट नहीं हो पा रही है। गड़खा प्रखंड के 08 जन वितरण प्रणाली दुकानदारों से पूछ-ताछ के क्रम में उनके द्वारा लिखित अभिकथन दिया गया है कि श्री निरंजन कुमार, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, गड़खा, सारण द्वारा उनसे अवैध राशि की माँग नहीं की गयी है।"

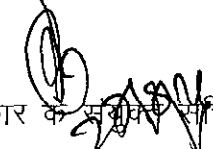
जिला पदाधिकारी, सारण (छपरा) द्वारा उपलब्ध कराये गये जाँच प्रतिवेदन में उल्लेखित तथ्यों की सम्यक् समीक्षा के उपरान्त प्रस्तुत परिवाद प्रकरण को संचिकास्त करने का निर्णय सक्षम प्राधिकार द्वारा लिया गया है।

सक्षम प्राधिकार के निर्णयानुसार प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, गड़खा, सारण के विरुद्ध प्रस्तुत परिवाद प्रकरण को संचिकास्त किया जाता है।


(सचिव)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापक-प्र08-गो0आ0(विविध परिवाद)-15/2024- 5376 /खाद्य, पटना/दिनांक- 27/08/2026
प्रतिलिपि-

1. श्री सुरेन्द्र राम, माननीय सदस्य, बिहार विधान सभा (क्षेत्र संख्या-119, गड़खा, सारण), निवास-ग्राम-रघुपुर, पो0-महमदपुर, थाना-गड़खा, जिला-सारण (छपरा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
2. जिला पदाधिकारी, सारण (छपरा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
3. आई0 टी0 मैनेजर, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के संयुक्त सचिव।